

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि., नगर उपखण्ड चतुर्थ, जोधपुर

क्रमांक- 289

दिनांक- 10/05/2023

सेवा में,

खिल्ली पीब्लिंग स्कूल  
(राजस्थान विनियमन अधिनियम)  
खसरा नं. 401, 401/2, 401/2  
पाली रोड, कुडी रोड, जोधपुर

विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 2023-24 के लिए।

महोदय,

संलग्न नक्शों में दर्शाये गये स्कूल/कॉलेज का निरीक्षण करने पर भवन के कमरे उपयोग हेतु सुरक्षित पाये गए हैं कि नक्शों में लाल रंग से दर्शाये गये हैं। अतः भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है।

1. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरंत सूचना दी जाये।
2. भवन की छत अथवा दीवार में ऋट्टि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जाये।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. चूंकि उक्त स्कूल/कॉलेज का निर्माण इस कार्यालय के द्वारा नहीं कराया गया है अतः भवन की नींव तथा निर्माण में प्रयोग सामग्री की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है।
5. यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नजरी तौर पर निरीक्षण कर दिया जा रहा है।
6. यह भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वर्ष 2023-24 के लिये ही मान्य होगा।
7. शाला के लिये आवश्यक मापदण्ड शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

भवदीय

सहायक अभियन्ता  
सा.नि.वि.नगर उपखण्ड-चतुर्थ  
जोधपुर

दिनांक

क्रमांक -

प्रतिलिपी श्रीमान् अधिशापी अभियन्ता सा.नि.वि.नगर खण्ड, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक .....

दिनांक ..... के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सहायक अभियन्ता  
सा.नि.वि.नगर उपखण्ड-चतुर्थ  
जोधपुर